Recommendation No.-19-Ensure that the single window provides clear timelines for issuing all approvals

निबंधन संख्या पी०टी०-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 38 पटना, बुधवार, 26 भाद्र 1936 (श०) / 17 सितम्बर 2014 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	4-5

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

वित्त विभाग

अधिसूचनाएं
3 सितम्बर 2014

सं० 1/स्था०(प्र०पदा०)–01/13–8022/वि०—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं० 11308 दिनांक 14.08.14 के आलोक में निम्नलिखित नव–प्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारी के सामने स्तंभ–3 में अंकित तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए स्तंभ–4 में अंकित प्रशाखा में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :–

क्र.सं.	प्रशाखा पदाधिकारी का नाम	योगदान की तिथि	आवंटित प्रशाखा
1	2	3	4
1	श्री शिवानन्द त्रिपाठी	14.08.14	प्रशाखा–07[सांख्यिक वित्त (बैंक)] अतिरिक्त प्रभार– प्रशाखा–08 [सांख्यिक वित्त (NBFC)] प्रशाखा–38 (लोक उद्यम ब्यूरो)

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
3. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शशि भूषण पाठक, संयुक्त सचिव।

3 सितम्बर 2014

सं० 1/स्था०(प्र०पदा०)–01/13–8023/वि०—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं०–5233 दिनाक 26.03.2013 द्वारा प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति देते हुए वित्त विभाग में पदस्थापन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सं०–11552 दिनांक 21.08.14 द्वारा वित्त विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर योगदान देने हेतु विरमित किये जाने के आलोक में निम्नांकित नव–प्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारी को स्तंभ–3 में अंकित तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए स्तंभ–4 में अंकित प्रशाखा में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :–

क्र.सं.	प्रशाखा पदाधिकारी का नाम	योगदान की तिथि	आवंटित प्रशाखा
1	2	3	4
1	श्री अमरेश कुमार मिश्र	25.08.14	प्रशाखा–31 (लेखा प्रशाखा)

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
3. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शशि भूषण पाठक, संयुक्त सचिव।

Recommendation No.-19-Ensure that the single window provides clear time lines for issuing all approvals

उद्योग विभाग

अधिसूचना
4 सितम्बर 2014

सं0सं0–D.T.D./D3-08/2006-1405—बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेन्स एक्ट, 2006 की धारा–13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार एतद द्वारा पूर्व अधिसूचना संख्या–700, दिनांक 10.05.2006 को अधिक्रांत करते हुए आवेदनों के प्रोसेसिंग हेतु निम्नलिखित समय–सीमा निश्चित करती है:–

कमांक	क्लियरेन्स का नाम	एक्ट के अधीन निर्धारित समय सीमा	संबंधित विभाग या सक्षम प्राधिकार का नाम
1	2	3	4
1	भूमि सम्परिवर्तन की सहमति	45 दिन	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

क्रमांक	क्लियरेन्स का नाम	एक्ट के अधीन निर्धारित समय सीमा	संबंधित विभाग या सक्षम प्राधिकार का नाम
1	2	3	4
2	एच0टी0 कनेक्शन (क) पावर फिजिविलिटी (ख) इस्टीमेट चार्ज उद्यमियों को निर्गत करना (ग) उद्यमी द्वारा कार्य करने के पश्चात विद्युत आपूर्त्ति हेतु चीफ इलेक्ट्रीकल इन्सपेक्टर की स्वीकृति	 10 दिन 45 दिन 15 दिन	ऊर्जा विभाग
3	औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण में जमीन/शेड का आवंटन	30 दिन	बिआडा
4	रेक्टिफाईड स्प्रीट एवं डिनेचर्ड स्प्रीट के उपयोग एवं पोजेशन हेतु अनुज्ञप्ति पर निर्णय	15 दिन	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
5	डिस्टलरी के लिए आशय पत्र पर निर्णय	30 दिन	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
6	(क) वैट का निबंधन (ख) प्रवेश–कर का निबंधन (ग) सी0एस0टी0 का निबंधन (घ) टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट	15 दिन 30 दिन 15 दिन 7 दिन	वणिज्य–कर विभाग
7	अग्निशामक का अनापत्ति	15 दिन	गृह विभाग
8	(क) जलापूर्त्ति के लिए आवश्यक स्वीकृति (ख) पानी का कनेक्शन दिया जाना	7 दिन 23 दिन	जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
9	नदी/पब्लिक टैंक से पानी लेने की अनुमति	30 दिन	जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
10	फूड ग्रेन लाईसेन्स	15 दिन	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
11	जल/वायु अधिनियम के तहत् इकाई की स्थापना/संचालन हेतु सहमति	(अधिकतम)4 माह	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
12	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहमति	45 दिन	ऊर्जा विभाग

Recommendation No.-19-Ensure that the single window provides clear time lines for issuing all approvals

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26—571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
26 अगस्त 2014

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 100/2014–583 नि०गो०—— डा0 कृष्ण कुमार मिश्रा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर को दिनांक 04.08.2014 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रभारी सचिव, भागलपुर जिला की अध्यक्षता में आपदा संबंधी समीक्षात्मक बैठक में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में डा0 मिश्रा को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में डा0 मिश्रा का मुख्यालय ''गया'' रहेगा। मुख्यालय आने जाने के लिए डा0 मिश्रा को किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

4. डा0 मिश्रा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जायेगी एवं आरोप पत्र अलग से संसूचित किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उप–सचिव।

2 सितम्बर 2014

सं० 5 नि0गो0वि0 (8) 29/2014–603 नि०गो०—— श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा, प्रभारी जिला मत्स्य पदाधिकारी, अरवल को विभागीय अधिसूचना–1942 दिनांक 26.06.2014 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 1982 दिनांक, 30.06.2014 के द्वारा अगले आदेश तक स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी जिला मत्स्य पदाधिकारी, शेखपुरा, के पद पर पदस्थापित किया गया था। परन्तु श्री वर्मा द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए स्थानांतरित पद पर योगदान नहीं किया गया, जो कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। अतएव सरकारी आदेश की अवहेलना तथा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री वर्मा को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में श्री वर्मा का मुख्यालय उप मत्स्य निदेशक का कार्यालय, गया रहेगा। मुख्यालय आने जाने के लिए श्री वर्मा को किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

4. श्री वर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जायेगी एवं आरोप पत्र अलग से संसूचित किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 25—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in